



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1989]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/आश्विन 3, 1936

No.1989]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASVINA 3, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2014

का.आ. 2518(अ).—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार परिषद् के साथ परामर्श से एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, सारणी में, उपशीर्षक 'डिग्रीज' के तहत-

(i) क्रम संख्या 33 के और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या व प्रविष्टियाँ स्थानापन्न की जायेंगी, नामतः-

1	2	3
"33. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब यह 10 सितम्बर, 2009 अथवा इससे पहले प्रदान की गई हो।)

(अपोलो पशुचिकित्सा औषधि कॉलेज, जयपुर से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के संदर्भ में)	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब यह 14 सितम्बर, 2008 अथवा उसके बाद और 10 सितम्बर, 2009 अथवा उससे पहले प्रदान की गई हो।);
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) क्रम संख्या 74 के और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या व प्रविष्टियाँ स्थानापन्न की जायेंगी, नामतः-

1	2	3
"74. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय, बीकानेर के संबंध में (i) पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज, बीकानेर (ii) अपोलो पशुचिकित्सा औषधि कॉलेज, जयपुर	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब यह 11 सितम्बर, 2009 अथवा उसके बाद और 12 मई, 2010 अथवा उससे पहले प्रदान की गई हो।);

(iii) क्रम सं. 75 के और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम सं. व प्रविष्टियाँ स्थानापन्न की जायेंगी, नामतः

1	2	3
"75. राजस्थान पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान, विश्वविद्यालय बीकानेर के संदर्भ में- (i) राजस्थान पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब यह 13 मई, 2010 अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
(ii) अपोलो पशुचिकित्सा औषधि कॉलेज, जयपुर	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब यह 13 मई, 2010 अथवा उसके बाद और 11 जुलाई, 2011 अथवा उससे पहले प्रदान की गई हो।)
(iii) महात्मा गाँधी पशुचिकित्सा विज्ञान कॉलेज, भरतपुर	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब यह 19

